**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**एड्स नियंत्रण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 864**

**5 मार्च, 2013 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**एड्स की रोकथाम और नियंत्रण**

**864. श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वह देश में एचआईवी/एड्रस रोगियों की बढ़ती हुई संख्या पर अंकुश लगाने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हो;

(ग) क्या सरकार द्वारा एड्रस को नियंत्रित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एड्रस की रोकथाम पर आने वाले संभावित खर्च को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और यह धनराशि किस तरह से आवंटित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍य मंत्री (श्री गांधी सेल्‍वन )

(क): जी नहीं।

वर्ष 2011-11 तक एचआईवी प्रहरी निगरानी आंकड़ों पर आधारित एचआईवी अनुमान 2012 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों की अनुमानित संख्‍या वर्ष 2006 में 23.2 लाख से कम होकर वर्ष 2011 में 21 लाख हो गई है अर्थात् इनकी संख्‍या में नियमित रूप से गिरता हुआ रूझान बना हुआ है।

(ख): प्रश्‍न नहीं उठता।

(ग) व (घ): जी हां। वर्ष 2011 के दौरान राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण –IV (2012-17) के लिए विस्‍तृत बहु-पणधारी परामर्शी नियोजन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्यक्रम कार्य-निष्‍पादन की एक विस्‍तृत समीक्षा शुरू की गई थी। पता लगाई गई प्रमुख चुनौतियों में प्रवसन व इंजेक्‍शन से नशे के द्रव्‍य का सेवन करने, उपचार संबंधी जरूरतों के बढ़ने व अनवरत कलंक तथा भेदभाव समेत अति संवेदनशीलताओं के कारण उभरती हुई महामारियां शामिल हैं। पांच वर्ष की अवधि (2012-2017) हेतु कार्यनीति उच्‍च जोखिम वाले समूहों के लिए लक्षित कार्यकलाप, मांग सृजन व कलंक को कम करने, कंडोम को बढ़ावा देने तथा एचआईवी परामर्श, परीक्षण व उपचार तक बढ़ी हुई पहुंच के लिए केंद्रित सूचना, शिक्षा व संप्रेषण कार्यकलाप जैसे मुख्‍य कार्यकलापों को आगे बढ़ाने व सुदृढ़ करने पर विशेष बल देती है। उभरती चुनौतियों के निराकरण के लिए, स्रोत पर ही ध्‍यान केंद्रित करते हुए संशोधित प्रवसन कार्यनीति, पारगमन व मंजिल, इंजेक्‍शन से नशे के सेवन हेतु ओपिओयड प्रतिस्‍थापन चिकित्‍सा व माता से बच्‍चे में होने वाले एचआईवी के संचरण को रोकने हेतु बहु-औषध औषध विधान जैसी नई पहलें शुरू की जा रही हैं।

(ङ):एड्स नियंत्रण विभाग राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV (2012-2017) को राज्‍य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्‍यम से सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में एक शत-प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्‍वित कर रहा है। चालू वर्ष (2012-13) के दौरान एचआईवी/एड्स के निवारण हेतु आबंटित धन का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में है।

\*\*\*\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

वित्‍तीय वर्ष **2012-13** के दौरान एचआईवी/एड्स के निवारण के लिए आबंटित किए गए धन का राज्‍य–वार ब्‍यौरा

|  |  |
| --- | --- |
| **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र**  | **आबंटन (लाख रूपए में)** |
| अहमदाबाद नगर निगम | 605.71  |
| अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 92.23  |
| आन्‍ध्र प्रदेश | 6,956.89  |
| अरुणाचल प्रदेश  | 591.57  |
| असम  | 1,491.67  |
| बिहार  | 2,148.48  |
| चंडीगढ़  | 416.90  |
| चेन्नई नगर निगम | 143.66  |
| छत्तीसगढ़  | 1,673.19  |
| दादरा व नगर हवेली | 73.32  |
| दमन दीव | 160.21  |
| दिल्ली  | 2,728.68  |
| गोवा  | 405.01  |
| गुजरात | 3,933.20  |
| हरियाणा | 1,799.63  |
| हिमाचल प्रदेश  | 913.22  |
| जम्मू व कश्मीर  | 607.88  |
| झारखंड | 1,438.55  |
| कर्नाटक | 5,549.31  |
| केरल  | 2,247.77  |
| लक्षद्वीप  | 4.98  |
| मध्य प्रदेश  | 2,891.71  |
| महाराष्ट्र | 6,009.69  |
| मणिपुर  | 1,773.02  |
| मेघालय  | 306.73  |
| मिजोरम  | 1,042.35  |
| मुंबई जिला | 2,011.15  |
| नागालैंड  | 1,364.39  |
| ओडिशा | 2,503.89  |
| पुदुच्चेरी  | 254.88  |
| पंजाब  | 1,910.00  |
| राजस्थान  | 2,437.79  |
| सिक्किम  | 303.84  |
| तमिलनाडु  | 5,680.41  |
| त्रिपुरा  | 491.76  |
| उत्तर प्रदेश  | 3,360.41  |
| उत्तराखंड  | 939.52  |
| पश्चिम बंगाल  | 3,414.11  |
| **कुल** | **70,677.71**  |